□□□□ □□□□□
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□□ □□□

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2293

23 □□□म□□, 2020 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

संस्थागत जन्म/प्रसव

2293. श्रीमती लॉकेट चटर्जी:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण □त्री□ यह बताने की कृपा करगे कि:

(क) सरकार ने देश म 100 फीसदी संस्थागत जन्म के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई समय-सीमा तय की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) संस्थागत जन्म को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए ह;
(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न स्वास्थ्य कद्रों म घटिया और अमानवीय सुविधाओं के कारण अनेक महिलाएं असंस्थागत प्रसव का चुनाव करती ह, यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार को शहरी/नगरीय क्षेत्रों म असंस्थागत प्रसव के गंभीर मामले मिले ह?

□त्त□

स□□स्थ्य और परिवार कल्या□ □त्री□ (श्री□ □□श्वे□□ □□□□ □□□)□

(क): सरकार ने देश म 100 प्रतिशत संस्थागत जन्म के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की है।

(ख): देश म संस्थागत जन्म को बढ़ावा देने के लिए उठाए कदम अनुलग्नक म दिए गए ह।

(ग) और (घ): सरकार के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

õ □□क्षे□ □□□त्□ □श□□□□ (□□□): सभी निवारण योग्य मातृ एवं नवजात मृत्युओं और अपंगताओं को समाप्त करने के लिए तथा सकारात्मक प्रसव अनुभव प्रदान करने के लिए जन सवास्थ्य केन्द्रों म आने वाली प्रत्येक महिला और नवजात शिशु को आश्वासित, सत्कारपूण, सम्मानजनक एवं नि:शुल्क, गुणवत्तापूण स्वास्थ्य परिचया, सेवाओं के मना करने के प्रति शून्य सहनशीलता के उद्देश्य वाली एक व्यापक, बहुआयामी एवं समन्वित नीति दृष्टिकोण है।

õ प्र□□□□त्री□ □□क्षे□ □□□त्□ □□□□□□ (□□□□□□□□□) पीएमएसएमए के अंतगत, देश म सभी गभवती महिलाओं को प्रत्येक महीने को 9 तारीख को नियत दिवस, नि:शुल्क, आश्वासन गुणवत्तायुक्त प्रसव-पूव परिचया प्रदान को जाती है।

õ □□□□ □□क्ष□ □□□□□ (□□□□□□) : संस्थागत प्रसव को बढ़ाने के उद्देश्य से अप्रैल 2005 म एक मांग संवधक और सशत नकदी अंतरण स्कोम को प्रारंभ किया गया था।

õ जननी शिशु सुरक्षा कायक्रम (जेएसएसके) को गभवती महिलाओं और बीमार नवजात शिशुओं के लिए पॉकेट व्यय के व्यय को कम करने के लिए जून,2011 म आरंभ किया गया था। इस पहल म सिजेरियन सेक्शन सहित नि:शुल्क और बिना व्यय के प्रसव हेतु सावजनिक स्वास्थ्य संस्थानों म प्रसव कराने वाली सभी गभवती महिलाएं पात्र ह।

õ □क्ष□: लक्ष्य कायक्रम दिसंबर,2017 म लेबर रूम और प्रसूति ऑपरेशन थिएटरों म परिचया को गुणवत्ता म सुधार के लिए शुरू किया गया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि गभवती महिलाओं को प्रसव के दौरान और तत्काल बाद को अवधि म सम्मानजनक और गुणवत्ता देखभाल प्राप्त हो।

õ मिडवाइफरी कायक्रम मिडवाइफरी कायक्रम नस प्रेक्टिशनर के एक संवग, जो अंतरराष्ट्रीय मिडवाइफ संघ (आईसीएम) सक्षमताओं के अनुसार कुशल ह और अनुकंपा आधार महिला केन्द्रित प्रजनन, मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य परिचया सेवाएं प्रदान करने म सक्षम ह, के सृजन के लिए 2018 म प्रारंभ किया गया था।

õ □□□□□□□□□ □□□□□□: एफआरयू म आपातकाल प्रसूति परिचया के प्रावधान को देश म सभी एफआरयू को संचालित करके किया जा रहा है। जबकि महत्वपूण घटकों जैसे कि काय संख्याबल, ब्लड स्टोरेज यूनिट, रेफरल लिंकज आदि के सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया गया है।

õ उच्च मामलों को संख्या वाले कद्रों म □□□□□□□□□□ स□□स्थ्य (□□□□□□) स्कंध स्थापित किए गए ह ताकि माता एवं बच्चों को प्रदान को जानेवाली परिचया को गुणवत्ता म सुधार लाया जा सके।

õ चौबीसौ घंटे बुनियादी और व्यापक प्रसूति परिचया प्रदान करने के लिए उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और जिला अस्पतालों का संचालन।

õ □□□□□□□ □□□ट्□ व्यापक आरएमएनसीएचएएन सेवाओं के प्रावधान के लिए अवसंरचना, उपकरण और प्रशिक्षित काय संख्याबल के संदभ म देश म 25,000 से अधिक “डिलीवरी पॉइंट्स” का सुदृढ़ीकरण किया गया है।

õ ऑब्सट्रेटिक □□□□□□□ □□□□□ जटिल गभावस्थाओं से निपटने के लिए देश म अधिक लोड वाली तृतीयक परिचया सुविधाओं के मामले म ऑब्सट्रेटिक आईसीयू/एचडीयू का संचालन किया जा रहा है।

õ मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम (□□□□□□□□): समय पर और गुणवत्तापूण सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रत्येक गभवती महिला और बच्चे को ट्रैक करने के लिए एक वेब आधारित प्रणाली शुरू की गई है।

õ दक्ष और दक्षता पर स्वास्थ्य परिचया प्रदाताओं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों म विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए एनेस्थीसिया (एलएसएएस) और सी-सेक्शन सहित ऑब्स्टेट्रिक केयर (सीईएमओएनसी) विषयों पर एमबीबीएस डॉक्टरों के लिए क्ष□□□ □□□□□।

*****